भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3315**

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**जनजातीय क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवा**

3315. डॉ. नामदेव किरसान

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सेवाओं सहित आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम सेवा वाले जिलों में नए आयुष अस्पताल, औषधालय और कल्याण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संसबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न आयुष योजनाओं के तहत आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सेवाओं सहित आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच के संबंध में मूल्यांकन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, आयुष मंत्रालय विभिन्न तरीकों से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित और त्वरित निगरानी कर रहा है:-

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से नियमित अंतराल पर गतिविधि-वार भौतिक/वित्तीय प्रगति एकत्रित करना।

ii. आयुष मंत्रालय की केंद्रीय टीम द्वारा समय-समय पर फील्ड दौरे आयोजित करना, विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की वास्तविक प्रगति का विश्लेषण करना, जिसके लिए राज्य सरकार ने व्यय की रिपोर्ट दी है और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

iii. कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने और आगे की राह निर्धारित करने के लिए माननीय मंत्री जी/सचिव की अध्यक्षता में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें।

iv. भौतिक और वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठक आयोजित की गई।

v. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में फील्ड दौरे करने वाले तीसरे पक्ष के माध्यम से नीति आयोग द्वारा एनएएम योजना के कार्यान्वयन/प्रगति का मध्यावधि मूल्यांकन।

(ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए वंचित जिलों सहित देश में नए आयुष अस्पतालों, औषधालयों और आरोग्य केन्द्रों की स्थापना की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हालांकि, केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 50/30/10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना और ऐसे क्षेत्र में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन के निर्माण का प्रावधान है जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। एनएएम दिशानिर्देश के अनुसार, वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रचार और सुदृढ़ीकरण के लिए आयुष मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

*****

**संलग्नक**

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रचार और सुदृढ़ीकरण के लिए आयुष मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण:

(करोड़ रूपये में)

| क्र. सं. | स्कीम/कार्यक्रम | 2023-24 | | | 2024-25 | | | 2025-26 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बीई* | आरई* | एई* | बीई | आरई | एई | बीई | आरई | एई (अनंतिम) |
| 1 | सूचना, शिक्षा एवं संचार | 41.00 | 39.85 | 33.12 | 43.20 | 33.12 | 29.82 | 43.20 | 73.00 | 83.62 |
| 2 | अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन | 44.27 | 27.64 | 22.85 | 137.42 | 137.07 | 103.86 | 136.00 | 142.75 | 115.12 |
| 3 | चैंप्यिन सेक्टर स्कीम | 21.68 | 7.40 | 6.67 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना | 43.49 | 20.00 | 19.53 | 49.49 | 40.00 | 40.00 | 65.00 | 35.00 | 40.99 |
| 5 | आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) | 20.00 | 12.26 | 11.59 | 25.00 | 15.00 | 13.92 | 27.00 | 17.75 | 17.69 |
| 6 | आयुर्स्वास्थ्य योजना | 6.00 | 12.85 | 20.83 | 72.59 | 29.00 | 20.62 | 62.60 | 46.73 | 46.72 |
| 7 | आयुर्ज्ञान | 9.00 | 15.00 | 14.99 | 49.50 | 27.00 | 25.70 | 50.00 | 37.81 | 37.67 |
| 8 | राष्ट्रीय आयुष मिशन | 1200.00 | 815.00 | 869.30 | 1200.00 | 1046.00 | 1137.65 | 1275.00 | 780.96 | 738.26 |

* बई-बजट अनुमान, आरई-संशोधित अनुमान, एई-वास्तविक व्यय